



Neutral Citation No. -2026:AHC:53539

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

**भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 482 के तहत आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन संख्या -
2502 / 2026**

उम्मे हबीबा और अन्य

.....अपीलार्थी (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....प्रत्यर्थी (गण)

अपीलार्थी (गण) के अधिवक्ता : जितेंद्र कुमार सिंह

प्रत्यर्थी (गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्याय कक्ष संख्या-72

माननीय न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा

1. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री जितेंद्र कुमार सिंह, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री ओ.पी. सिंह को सुना गया और पत्रावली का अवलोकन किया गया।
2. यह वर्तमान आवेदन मुकदमा अपराध संख्या 360/2025, धारा 115(2), 352, 351(2), 110 भारतीय न्याय संहिता, पुलिस थाना नरैनी, जिला बांदा में अग्रिम जमानत की मांग के लिए प्रस्तुत किया गया है, इस प्रार्थना के साथ कि गिरफ्तारी की स्थिति में, अपीलार्थीगण को जमानत पर रिहा किया जा सकता है।
3. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी निर्दोष हैं और उन्हें इस मामले में झूठा फंसाया गया है। आगे यह भी निवेदन किया गया है कि शुरू में, प्रथम सूचना रिपोर्ट भारतीय न्याय संहिता की धारा 115(2), 352, 351(2) के तहत दर्ज की गई थी और जांच के दौरान भारतीय न्याय संहिता की धारा 110 को भी इसमें जोड़ दिया गया है। आगे यह भी निवेदन किया गया है कि किसी भी अपीलार्थी को कोई विशिष्ट भूमिका नहीं सौंपी गई है और अपीलार्थीगण के खिलाफ सामान्य और अस्पष्ट आरोप लगाए गए हैं। आगे यह भी निवेदन किया गया है कि अपीलार्थी को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 35(3) के तहत एक नोटिस दिया गया था और अब इस मामले में आरोप पत्र पहले ही जमा किया जा चुका है। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि अपीलार्थी विचारण में सहयोग करने के लिए तैयार और इच्छुक हैं। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि घायल इम्तियाज की चोट धँसी हुई हड्डी का टूटना पाई गई है, हालांकि, इसका श्रेय अपीलार्थी को नहीं दिया गया है। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि अपीलार्थीगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि अपीलार्थी विचारण के दौरान सहयोग करने का वचन देते हैं और जांच संस्था या न्यायालय द्वारा आवश्यक होने पर उपस्थित होंगे। यह कहा गया है कि यदि अपीलार्थीगण को अग्रिम जमानत दी जाती है, तो वे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेंगे और सहयोग करेंगे।

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



4. दूसरी ओर, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने भी अग्रिम जमानत की अर्जी का विरोध किया है।
5. प्रारंभ में, प्रथम सूचना रिपोर्ट भारतीय न्याय संहिता की धारा 115(2), 352, 351(2) के तहत दर्ज की गई थी और जाँच के दौरान भारतीय न्याय संहिता की धारा 110 भी जोड़ दी गई है। किसी भी अपीलार्थी को कोई विशेष भूमिका नहीं सौंपी गई है और अपीलार्थीगण पर सामान्य और अस्पष्ट आरोप लगाए गए हैं। अपीलार्थीगण को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 35(3) के तहत नोटिस दिया गया था और अब इस मामले में आरोप पत्र पहले ही जमा किया जा चुका है और अपीलार्थी मुकदमे में सहयोग करने के लिए तैयार और इच्छुक हैं। यह भी निवेदन किया जाता है कि अपीलार्थीगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।
6. यह कहा जा सकता है कि **सिद्धाराम सतलिंगप्पा म्हेत्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2011) 1 एससीसी 694** के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि अग्रिम जमानत पर निर्णय लेते समय, न्यायालय को आरोप की प्रकृति और गंभीरता, अभियुक्त का पूर्ववृत्त, अभियुक्त के न्याय से भागने की संभावना पर विचार करना चाहिए; और यह कि न्यायालय को अभियुक्त के विरुद्ध उपलब्ध समस्त सामग्री का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना चाहिए, तथा अभियुक्त की सटीक भूमिका को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।
7. प्रस्तुत मामले में, अग्रिम जमानत के संबंध में विधि के स्थापित सिद्धांतों, पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों, अपीलार्थीगण की भूमिका तथा मामले के समस्त संबंधित तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना अग्रिम जमानत का एक मामला बनता है।
8. अग्रिम जमानत का आवेदन स्वीकार किया जाता है।
9. यदि उपरोक्त मामले में शामिल अपीलार्थीगण - **उम्मे हबीबा और जमीला खातून** को गिरफ्तार किया जाता है, तो उन्हें अग्रिम जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा। इसके लिए उन्हें संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार, 50,000/- रुपये का व्यक्तिगत मुचलका और इतनी ही राशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने होंगे, और साथ ही निम्नलिखित शर्तों का पालन करना होगा :-
 - (i) अपीलार्थी साक्ष्यों के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करेंगे, और वे विचारण न्यायालय के समक्ष निर्धारित तिथि पर उपस्थित होंगे, जब तक कि संबंधित न्यायालय द्वारा उन्हें इससे छूट न दी गई हो;
 - (ii) अपीलार्थी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेंगे, ताकि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के सामने बताने से रोका जा सके;
 - (iii) अपीलार्थी विचारण के दौरान सहयोग करेंगे और जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेंगे।
 - (iv) अपीलार्थी संबंधित न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत छोड़कर नहीं जाएँगे।
10. इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, अभियोजन पक्ष को अपीलार्थीगण को दी गई अग्रिम जमानत को रद्द करवाने के लिए उचित आवेदन दायर करने की स्वतंत्रता होगी।

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



(न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा)

17 मार्च, 2026

आरकेएम

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"